संख्या ओ० एम०/एम 1-037/78 482 /

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

( संघटन एवं पद्धति प्रशाखा )

सेवा में;

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ( सचिवालय से संलग्न )।

पटना, दिनांक 19 जून, 1978 ई०।

विषय :—केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के पत्र के उत्तर दो ही दिनों में देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव को निम्नांकित आदेश दिया है :—

"केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के जो पत्र आते हैं उनमें से अधिकांश महत्त्वपूर्ण पत्रों का उत्तर दो ही दिनों में अवश्य जाना चाहिए। यह तभी संभव है जब पत्र-प्राप्ति के ही दिन सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित किया जाय और उन्हें अपने सचिवालय में बुलाकर उनसे उत्तर का प्रारूप ले लिया जाय। हाँ, जो जटिल प्रश्न होंगे उनके सम्बन्ध में उत्तर समीक्षोपरान्त दिया जायगा। मगर किसी भी हालत में अनावश्यक विलम्ब कदापि नहीं होना चाहिए।"

अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के पत्रों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जब कभी भी मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, अनुरोध करें या आपसे सम्पर्क स्थापित करें तो उन्हें यथासम्भव आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने तथा पूर्ण सहयोग देने की कृपा करें ताकि मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन हो सके।

विश्वासभाजन,
ह०/—के० एम० ठाकुर
सरकार के अपर सचिव।

---

संख्या ओ० एम०/एम० 1-037/78 504

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,

( संघटन एवं पद्धति प्रशाखा )

सेवा में;

सरकार के प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 13 जुलाई, 1978

वियम :—केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों के पत्रों का उत्तर दो ही दिनों में देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विभाग के पत्रांक 482 दिनांक 19 जून, 1978 के द्वारा यह निर्णय किया गया था कि केन्द्रीय मन्त्रियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दो ही दिनों में भेजने के लिये मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव को सहयोग दिया जाय।

2—आपसे यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय मन्त्रियों से प्राप्त पत्रों के लिये एक अलग पंजी रखने की व्यवस्था करें ताकि निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन
ह०/—के० एम० ठाकुर
सरकार के अपर सचिव